

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठारीन अधिकारी - डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 19/2023  
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/25

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा हाल सिरोही  
(राज)

बनाम


अभियुक्त :-

1. श्री अजीत पुत्र श्री मनोहरलालजी जैन  
मैसर्स- पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, 6 ग्रीन इण्डिया  
काम्पलैक्स, राजतलाब रोड, बांसवाड़ा
2. Balkrishna Arvindbhai Thakkar  
Ashapura Agro Industries, Survey  
No. 183/1, Sanand Road Near  
Kenal At. Lodariyal (Bavia-  
382220) Distt.- Ahmedabad  
(Gujraat)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10-04-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 09-02-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20-07-2022 को 1.00 पी.एम. बजे बाहेंसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स - पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, 6 ग्रीन इण्डिया काम्पलैक्स, राजतलाब रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर अजीत पुत्र श्री मनोहरलालजी जैन उपस्थित थे। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स - पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, 6 ग्रीन इण्डिया काम्पलैक्स, राजतलाब रोड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर Poha (Brand-Utsav) के 1 Kg के 45 पैकेट आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Poha (Brand- Utsav) के 4 पैकेट वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा Poha (Brand- Utsav) के पैकेट के चार भाग कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल,  पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1164 लिखा व



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)



नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भं  
हरताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमून  
भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर  
कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में  
बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग  
मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर  
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य  
विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा  
के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/271-272 दिनांक 29-08-2022 एव खाद्य विश्लेषक,  
जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 682 दिनांक  
29-07-2022 अनुसार विक्रेता से चारते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Poha (Brand-  
Utsav)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1164** Misbranded food under section 3(1)(zf) of  
food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Poha (Brand- Utsav)** का  
विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की  
उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत  
जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को  
जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 10-04-2023 को अप्रार्थी सं. 1 स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा  
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री अजीत पुत्र श्री मनोहर लाल मैसर्स पार्श्व ट्रेडर्स, बाँसवाडा  
जिसे श्री बाल कृष्ण अरविन्द भाई ठक्कर पार्टनर मैसर्स आशापुरा एगो इण्डस्ट्रीज ने  
अपनी ओर से इस प्रकरण में उपस्थिति हेतु अधिकृत किया है, ने अप्रार्थी श्री बाल कृष्ण  
अरविन्द भाई ठक्कर पार्टनर मैसर्स आशापुरा एगो इण्डस्ट्रीज का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
किया जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर  
निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा  
के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/271-272 दिनांक 29-08-2022 एव खाद्य विश्लेषक,  
जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 682 दिनांक



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला करवाकर)  
बाँसवाडा (राज.)



29-07-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Poha (Brand-Utsav)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1164** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्रान्डेड **Poha (Brand- Utsav)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी अजीत पुत्र श्री मनोहरलालजी जैन मैसर्स- पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, 6 ग्रीन इण्डिया काम्प्लैक्स, राजतलाब रोड़, बांसवाडा , **Balkrishna Arvindbhai Thakkar Ashapura Agro Industries, Survey No. 183/1, Sanand Road Near Kenal At. Lodariyal (Bavia- 382220) Distt.- Ahmedabad (Gujraat)** को रूपये 40,000/- (अक्षरे रु चालीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 10-04-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



( डॉ. दिनेश राय सापेला )  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अ.वि. जिला न्यायालय)  
(अ.वि. जिला न्यायालय)  
बांसवाडा (रा.गु.)  
बांसवाडा